पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 244/2020

1. विजयसिंह पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।

:– **वादी**

व ना म

1 नोपाराम पुत्र सोहन जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।

2 हनुमान पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।

3 शिशपाल पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।

4 रोशनी पुत्री नोपाराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।

5 पंजाब नैशनल बैंक शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबंधक।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पुनमचंद वर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अक्षय वर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा कणाऊ के खाता सं0 122/124 के खसरा सं0 258/1 की 1.226है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 नोपाराम के नाम यथावत रखते हुए व रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 122/124 के खसरा सं0 26/3 की 4.456है, खसरा सं0 144 की 2.222है0, खसरा सं0 261/1 की 5.127है0, कुल 11.805 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 नोपाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 नोपाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 विजयसिंह व प्रतिवादी सं0 2 हनुमान व प्रतिवादी सं0 3 शिशपाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27-01-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:08:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 244/2020

1. विजयसिंह पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा। :– वादी

ब ना म

1 नोपाराम पुत्र सोहन जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
2 हनुमान पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
3 शिशपाल पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
4 रोशनी पुत्री नोपाराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा हाल साहूवाला त0 व जिला सिरसा।
5 पंजाब नैशनल वैंक शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रवंधक।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पुनमचंद वर्मा : **वादी**
वकील श्री अक्षय वर्मा : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 27-01-21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 122/124 के खसरा सं0 26/3 की 4.456है, खसरा सं0 144 की 2.222है0, खसरा सं0 258/1 की 1.226है0, खसरा सं0 261/1 की 5.127है0, कुल 13.031है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 नोपाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता सोहन की खातेदारी हुआ करती थी। सोहन से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 नोपाराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी वंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ वनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही वनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 व 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 3 शिशपाल की ओर से इकवाल जवाव पेश किया। प्रतिवादी सं 5 [illegible] किया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी [illegible] आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु विजयसिंह पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी कणाऊ के वयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमावंदी ग्राम कणाऊ संवत 2072–75 खाता सं0 122/124 प्रदर्श 1, जमावंदी खतौनी संवत 2029–38 प्रदर्श 2 व 3, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कणाऊ 4, शपथ पत्र वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्श प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:08:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 4 में वारिसप्रमाण पत्र में नोपाराम के तीन पुत्र शिशपाल, विजयसिंह व हनुमान व एक पुत्री रोशनी के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 122/124 के खसरा सं0 26/3 की 4.456है, खसरा सं0 144 की 2.222है0, खसरा सं0 258/1 की 1.226है0, खसरा सं0 261/1 की 5.127है0, कुल 13.031है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 नोपाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। में से कणाऊ के खाता सं0 122/124 के खसरा सं0 258/1 की 1.226है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 नोपाराम के नाम यथावत रखते हुए शेष वाद भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 नोपाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताविक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 122/124 के खसरा सं0 258/1 की 1.226है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 नोपाराम के नाम यथावत रखते हुए व रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 122/124 के खसरा सं0 26/3 की 4.456है, खसरा सं0 144 की 2.222है0, खसरा सं0 261/1 की 5.127है0, कुल 11.805 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 नोपाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 नोपाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 विजयसिंह व प्रतिवादी सं0 2 हनुमान व प्रतिवादी सं0 3 शिशपाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27-01-2021 द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:08:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner